

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो०-703/2026- 09 अक्टूबर /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

1. उप निदेशक, ईख विकास,
पूसा, समस्तीपुर।

2. उप निदेशक, ईख विकास,
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत बिहार राज्य में कार्यरत चीनी मिलों (हरिनगर, हसनपुर और नरकटियागंज) में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु कुल 42.80 लाख (बयालीस लाख अस्सी हजार) रुपये की आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-283 स्वी०/CC दिनांक-31.07.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत बिहार राज्य में कार्यरत चीनी मिलों (हरिनगर, हसनपुर और नरकटियागंज) में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु कुल मो० 42,80,000.00 (बयालीस लाख अस्सी हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि मो० 42.80 लाख (बयालीस लाख अस्सी हजार) रुपये वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में मो० 42,80,000.00 (बयालीस लाख अस्सी हजार) रुपये का आवंटन किया जा रहा है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार श्रेणीवार आवंटित राशि के अधीन मदवार आवश्यकता अनुसार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2026-27 में निकासी हेतु आवंटित राशि (लाख रु०)
1.	सामान्य वर्ग- मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	42.80
	योग-		42.80

3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०) 2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. आवंटित राशि जिस श्रेणी हेतु आवंटित की गयी है, उसी श्रेणी से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जाएगी।

2

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-283 स्वी०/CC दिनांक-31.07.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन तथा राशि का व्यय नियमानुसार किया जायगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित कार्यालय पूर्णतः जबाबदेह होंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026- 09 अगस्त /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं समस्तीपुर/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026- 09 अगस्त /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा/महाप्रबंधक, हरिनगर, नरकटियागंज एवं हसनपुर चीनी मिल/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026- 09 अगस्त /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिट्टी जांच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यालयवार/चीनी मिलवार आवंटित राशि एवं संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	
			सामान्य 45-2401001080109	
			आवंटित राशि (राशि लाख रु० में)	
1	2	3	4	5
1	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	हरिगनर चीनी मिल, प० चम्पारण	12.75	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
2	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	नरकटियागंज चीनी मिल, प० चम्पारण	18.51	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
3	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	11.54	कोषागार, समस्तीपुर
योग-			42.80	


ईखायुक्त, बिहार।